6.2.25 वकील प्रार्थी उप-1 युक्त अनवानी वाद-पत्र का दिनांक 28.1.25 को निर्णय किया जा चुका है। प्रत्यर्थी-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने पर प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा दिनांक 3.1.24 को जारी T.I. खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे दस्तखत सुनाया गया।

GCMS 2024/26

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.06 18:05:14 IST
Reason: SelfAttested